संख्या– 1485 /नौ–9–2012–161ज/12

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश ।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांकः** 15 **अक्टूबर, 2012**

विषय–4 जी ब्राडबैण्ड वायर लाइन/वायरलेस ऐक्सेस सर्विस प्रदान किया जाना ।

महोदय,

इनफोटेल ब्राडबैण्ड सर्विसेज लिमिटेड जिसे आगे कम्पनी कहा गया है, द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में और आरम्भिक तौर पर ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, लोनी, मेरठ, रामपुर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, और इलाहाबाद नगरों में 4th Generation Broad Band Wire line / Wireless Access Services (4G) स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु 30 मीटर ऊँचे ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट (GBM) की स्थापना के लिए अधिकतम 3 मी0 X 3 मी0 भूमि को 20 वर्ष, जिसे आगे 10 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा, की लीज पर उपलब्ध कराने तथा भूमिगत व उपरिगामी आप्टिकल फाइबर केबिल डालने हेतु कम्पनी द्वारा समस्त सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2. कम्पनी द्वारा भूमिगत केबिल डालने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि इस कार्य में Horizontal Directional Drilling (HDD) तकनीक का उपयोग किया जायेगा, जिसमें भूमि के सतह के क्रियाकलापों पर बहुत कम बाधा आयेगी और इसमें समय भी बहुत कम लगेगा। कार्य पूरा होने के 72 घण्टे के अन्दर स्थल मूलस्थिति में ला दिया जायेगा। जहाँ भूमिगत केबिल डालना सुविधाजनक

नहीं होगा वहां फाइबर टू होम लगाने के लिये आवश्यकतानुसार ओवरहेड वायर्स खींचने के लिए बिजली के खम्भों के समान खम्भे लगाने हेतु अधिकतम 1 मी0 X 1मी0 स्थान की आवश्यकता होगी।

3. स्थानीय नागर निकाय क्षेत्रों में सड़क, चौराहा, पार्क या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर ग्राउण्ड बेस मास्ट हेतु अधिकतम 3 मी0 X 3 मी0 का स्थान 20 वर्ष की लीज, जिसे आगे 10 वर्ष के लिये बढ़ाया जा सके, लीज रेन्ट पर देने अथवा निकाय की भूमि पर भूमिगत आप्टिकल फाइबर/डक्ट डालने अथवा भूमि से ऊपर ओवरहेड केबलिंग के लिये स्थल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 में धारा 128 में निम्नलिखित प्राविधान है:

इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए और उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए (निगम), को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे किसी भी सम्पत्ति को या उसमें किसी स्वत्व को, जो इस अधिनियम के अधीन (निगम), द्वारा अर्जित किया गया हो या उसमें निहित हो बेचे, किराये पर दे, पट्टे पर उठाये, उसको विनिमय करे, उसे बन्धक रखे, दान में दे, या अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करें:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सरकार द्वारा (निगम) को हस्तान्तरित की गई कोई भी सम्पत्ति राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना हस्तान्तरण के निबन्धनों (Terms) के विपरीत किसी रीति से न तो बेची जायेगी, न किराये पर दी जायेगी, न विनिमय की जायेगी, न बंधक रखी जायेगी, अथवा न अन्य किसी प्रकार से ही किसी को हस्तान्तरित की जायेगी(Conveyed)।

4. उक्त के कम में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–129 में सम्पत्ति के निस्तारण विषयक प्राविधान किये गये हैं।

5. इसी प्रकार उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–124 में सम्पत्ति अन्तरण विषयक प्राविधान किया गया है, जो निम्नवत है:

(1) (नगर पालिका) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अधिरोपित किसी निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, (नगरपालिका) में निहित किसी सम्पत्ति को, जो किसी न्यास के सम्बन्ध में उसके द्वारा धृत सम्पत्ति न हो, जिसकी शर्तें इस प्रकार अन्तरण के अधिकार से असंगत हों, विक्रय, बन्धक, पट्टा, दान, विनिमय द्वारा या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

(2) (नगरपालिका) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की मंजूरी से,(नगरपालिका) में निहित किसी सम्पत्ति का सरकार को अन्तरण कर सकता है, किन्तु इस प्रकार से नहीं कि उससे किसी न्यास या सार्वजनिक अधिकार पर जिसके अधीन वह सम्पत्ति हो, कोई प्रभाव पड़े।

(3) परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अन्तरण ऐसे पट्टे को छोड़कर जिसकी अवधि एक वर्ष से अधिक न हो, ऐसी लिखत द्वारा, जो नगरपालिका को सामान्य मुहर से मुद्रांकित होगा और अन्यथा वह ऐसी सभी शर्तों का अनुपालन करेगा, जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन संविदा के सम्बन्ध में अधिरोपित की गई हों।

6. यह भी अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिये अनुमति) अधिनियम 2001 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी लाइसेन्सधारी को, किसी सार्वजनिक भूमि के नीचे, ऊपर, साथ–साथ, आर–पार, अन्दर या उस पर आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने की अनुमति प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। अधिनियम की धारा 2 और धारा 5 में राज्य सरकार को ऐसी जांच के पश्चात जैसी वह उचित समझे, विहित निर्बन्धनों और शर्तों के साथ अनुमति प्रदान कर सकने की व्यवस्था है।

7. इनफोटेल ब्राडबैण्ड सर्विसेज लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार को निम्नलिखित सेवायें/सुविधायें भी प्रदान की जायेगी :

(1) Providing Surveillance cameras free of cost on the MASTS put up on Government land. These cameras will be connected to the designated Police Control Rooms in the cities. The connectivity will be provided free of charge for a period of 15 years.

(2) Free connectivity (up to 2 mbps) free of charge for a period of 15 years to State Secretariat, Annexe, Bapu Bhawan, Raj Bhawan, Janpath, Indira Bhawan and CM's residence.

(3) To provide one fire alarm box in each high-rise building of 6 or more stories free of charge and the same shall be connected to the control room, in the cities having population of more than 10 Lacs where their services are rolled out.

(4) Maintain and develop four parks (subject to availability of parks) in each city where their services are rolled out.

8. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित अधिनियमों के संगत प्राविधानों के दृष्टिगत प्रस्तर–1 में उल्लिखित नगरों में, जहां सम्भाव्यता है, निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन 4$^{जी}$ नेटवर्क के लिए HDD विधि से आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने, ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट (GBM) स्थापित करने तथा ओवर हेड वायर के लिए पोल लगाने की अनुमति देने की कार्यवाही की जायः

(1) अनुमति प्राप्त करने के लिए कम्पनी द्वारा आवेदन पत्र के साथ वार्डवार मानचित्र पर पूर्ण विवरण चिन्हांकित करते हुए स्थलों और कार्यो की सूची प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें ऐसी भूमि की अवस्थिति, आकार एवं अन्य अपेक्षित सूचनायें निहित होगीं।

(2) आवेदन–पत्र के साथ, मास्ट/पोल की ऊँचाई, ट्रेंच की गहराई, लम्बाई, केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि का आकार, जिसमें लम्बाई, चौड़ाई, गहराई आदि का उल्लेख हो और संरचना आदि का विवरण भी संलग्न करना होगा। अन्य कोई विशिष्टियॉ, जो निकाय द्वारा अपेक्षित हों, भी संलग्न की जायेंगी।

(3) अनुमति ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए दी जायेगी जो लोक सुरक्षा और जन सुविधा के हित में हो।

(4) अनुमति केवल उसी अवधि के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गई हो।

(5) प्रदान की गई अनुमति अन्तरणीय नहीं होगी।

(6) मार्ग के लिए खुली, छोड़ी गई भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों के लिए स्वतन्त्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

(7) ऐसे स्थलों जहां यातायात हेतु दृश्यता में बाधा और व्यवधान उत्पन्न हो वहां मास्ट या पोल लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(8) जहां इनसे स्थानीय नगरीय सुविधायें प्रभावित हों वहॉ अनुमति नहीं दी जाएगी।

(9) मास्ट लगाने हेतु जमानत राशि नगर पंचायत में रू0 5000.00, नगर पालिका परिषद में रू0 7000.00 एवं नगर निगम में रू0 10000.00 अग्रिम रूप में कम्पनी द्वारा सम्बन्धित निकाय को प्रति मास्ट भुगतान किया जायेगा। इसके पश्चात ही सम्बन्धित निकाय द्वारा अनुमति पत्र जारी किया जाएगा।

(10) इसी प्रकार ओवरहेड वायर के लिये पोल स्थापित करने हेतु जमानत राशि नगर पंचायत में रू0 1000.00, नगर पालिका परिषद में रू0 1500.00 एवं नगर निगम में रू0 2000.00 कम्पनी द्वारा सम्बन्धित निकाय को प्रति पोल भुगतान किया जाएगा।

(11) मास्ट लगाने हेतु देय किराया, लीजरेन्ट, दण्ड शुल्क और अन्य देयों का निर्धारण सम्बन्धित निकाय द्वारा तत्समय प्रभावी दर पर नियमानुसार किया जायेगा।

(12) कम्पनी द्वारा की गई कटिंग की गुणवत्तापरक पुनर्स्थापना कटिंग कार्य पूर्ण होने के पश्चात अधिकतम 72 घण्टे में निकाय की सन्तुष्टि और विशिष्टताओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी। नियत अवधि में अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित निकाय पुनर्स्थापन व्यय दण्ड सहित वसूल करेगा और पुनर्स्थापन कार्य करायेगा।

(13) कम्पनी द्वारा विभिन्न सम्बन्धित विभागों और प्राधिकारियों से आवश्यकतानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(14) आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने के लिए 2मी0 X 2मी0 आकार का 1.5 मीटर गहराई का गड्ढा लगभग 100 मीटर दूरी के अन्तर पर खोदा जायेगा। विशेष परिस्थिति में गहराई 2 मी0 से 4 मी0 तक हो सकती है।

(15) खोदे गये गड्ढे को चारों ओर से बैरिकेटिंग/टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जायेगा ताकि गड्ढे में कोई व्यक्ति/बच्चा अथवा जानवर आदि न गिर जाये। सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी पूर्ण उत्तरदायित्व कम्पनी का होगा।

(16) भूमिगत केबिल बिछाते समय अन्य भूमिगत सेवाओं और सुविधाओं को क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी। यदि ऐसी सुविधाओं को क्षति पहुॅचती है तो सम्बन्धित सेवा प्रदाता द्वारा उसे ठीक कराया जायेगा। इस कार्य में आने वाला समस्त व्यय कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा।

(17) आवश्यकता पड़ने पर निकाय के निर्देश पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल नियत समय में बदलने अथवा केबिल/मास्ट के स्थल परिवर्तन करने का समस्त व्यय–भार कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा तथा इस हेतु कम्पनी को कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

(18) निकाय कर्मचारियों द्वारा कार्यों के निर्वहन के समय आप्टिकल फाइबर केबिल को पहुॅची क्षति के लिये उन्हें अथवा नगरीय निकाय को उत्तरदायी नहीं माना जायेगा।

(19) कम्पनी द्वारा किसी मास्ट, पोल अथवा केबिल की मरम्मत के लिए की जाने वाली खुदाई आदि की सूचना देना होगा और मरम्मत के पश्चात स्थल को मूल स्थिति में लाना होगा।

(20) ग्राउन्ड बेस्ड मास्ट (GBM) की स्थापना हेतु अधिकतम 3मी0 X 3मी0 की भूमि चिन्हित स्थलों पर स्थल की उपलब्धता के आधार पर उपलब्ध कराई जायेगी। दो मास्ट के मध्य की दूरी 150 मीटर से कम Line Of Sight में नही होगी।

(21) ग्राउन्ड बेस्ड पोल (GBP) के लिए निर्दिष्ट स्थान पर स्थल की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 1मी0X1मी0 का स्थल सड़क पटरी के आत्यन्तिक किनारे जहॉ यातायात एवं आवागमन बाधित न हो, उपलब्ध कराया जायेगा। दो पोल के मध्य न्यूनतम दूरी 20 मीटर होगी। इसकी अधितम ऊॅचाई 5 मीटर होगी।

(22) मास्ट की ऊॅचाई 25 मीटर से अधिक होने पर उसका तकनीकी परीक्षण प्रतिष्ठित तकनीकी संस्था से कराना अनिवार्य होगा तथा आवश्यकतानुसार भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(23) मास्ट, पोल अथवा केबिल की स्थापना, मरम्मत या सम्बन्धित अन्य कार्यों के सम्पादन के समय या पश्चात जन सुरक्षा का पूर्ण दायित्व कम्पनी का होगा। किसी भी प्रकार की दुर्घटना, या क्षति और उसके परिणामों के लिए कम्पनी जिम्मेदार होगी। कम्पनी द्वारा समस्त सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जायेगा।

(24) मास्ट, पोल की स्थापना अथवा केबिल बिछाने की अनुमति देने से पूर्व नागर निकाय द्वारा निर्धारित समस्त देयों का भुगतान अनुबन्धित शर्तों के अनुसार कम्पनी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

(25) जहाँ नगर निकाय के मार्ग प्रकाश सम्बन्धी पोल पूर्व से स्थापित हैं वहाँ निर्धारित शुल्क लेकर इन पोलों के उपयोग की अनुमति कम्पनी को दी जा सकेगी।

(26) कम्पनी द्वारा स्थापित मास्ट और पोल का उपयोग नागर निकाय द्वारा मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जा सकेगा। इस हेतु कम्पनी को कोई शुल्क देय नहीं होगा। मार्ग प्रकाश सम्बन्धित समस्त उपकरण आदि (मरम्मत सहित) नागर निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। इस पर आने वाला विद्युत व्यय–भार निकाय द्वारा वहन किया जायेगा। मास्ट और पोल पर मार्ग प्रकाश बिन्दुओं की स्थापना और मरम्मत का कार्य कम्पनी द्वारा किया जायेगा।

(27) कम्पनी द्वारा गृह विभाग की अनुमति से मास्ट पर सिक्योरिटी सर्विलांस कैमरा अपने व्यय पर स्थापित किये जायेंगे और पुलिस नियन्त्रण कक्ष से जोड़े जा सकेंगे।

(28) यदि कम्पनी द्वारा मास्ट या पोल पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है अथवा विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिये किसी को अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाता है तो इस हेतु कम्पनी को निकाय की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा निकाय के नियमों/प्राविधानों का पालन करना होगा व निकाय द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप विज्ञापन कर का भुगतान करना होगा।

(29) कम्पनी और निकाय के बीच किसी विवाद की स्थिति में मण्डल के आयुक्त का निर्णय अन्तिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(30) समस्त नियमों, शर्तो और देयों के भुगतान के सम्बन्ध में नागर निकाय और कम्पनी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

9– कृपया उक्त निर्देशों के अधीन मामले में अग्रतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्या– 1485(1)/नौ–9–2012 एवं तद्‌दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1– औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4– नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम एवं अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत,उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय) ।
5– नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
6– वेब मास्टर, नगर विकास विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7– गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

15/10/2012

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव

O/C